



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1930 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1737/79-वि-1-08-1(क)25-2008

लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 28 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन)

अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2008)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007 का सामान्य संशोधन 2- उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" जहाँ-जहाँ भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2008 के मूल्य संवर्धित कराधान प्रणाली प्रारम्भ करने के उद्देश्य से दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1948) को निरसित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 में सन् 1948 के उक्त अधिनियम के सन्दर्भ थे। चूंकि सन् 1948 का उक्त अधिनियम उक्त अध्यादेश द्वारा निरसित कर दिया गया था, अतः उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त संदर्भों में परिवर्तन करना आवश्यक था। उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त सन्दर्भों में परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया था। चूंकि उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि सन् 2007 के उक्त अधिनियम को संशोधित करके सन् 2008 के उक्त अधिनियम द्वारा उक्त अध्यादेश के संदर्भों में परिवर्तन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAI ANUBHAG-1

No. 1737(2)/LXXIX-V-1-1(ka)25-2008
Dated Lucknow, August 29, 2008

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Kshetra Men Pravesh Par Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhinyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 25 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2008:--

